

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला सागर (म0प्र0)

(इशतहार)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 34 अ/20(1) वर्ष 20-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.01.21 कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 जो म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24.09.2020 को प्रकाशित नियम /निर्देशों के अधीन राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण/आवंटन हेतु प्रारूप एक में आवेदन पत्र पेश कर लेख किया गया कि सागर जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालय (सागर, खुरई, रहली, बण्डा देवरी बीना गढाकोटा) में मैनुअल पंजीकृत स्थायी दस्तावेजों को एक ही स्थान पर संधारित करने हेतु जिला स्तर पर एकीकृत अभिलेखागार भवन का निर्माण कराया जाना है, अतः पूर्व से निर्मित जिला पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालय से लगकर शासकीय नजूल भूमि ब्लाक नं0 58 प्लॉट नं0 9/1 में से 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफुट) भूमि की आवश्यकता है ।

अतः म0प्र0 शासन द्वारा राजपत्र दिनांक 24.09.20 में प्रकाशित दिशा निर्देशों अनुसार नजूल भूमि हस्तांतरण/आवंटन हेतु वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर को जिला स्तर पर एकीकृत अभिलेखागार भवन निर्माण हेतु पूर्व से निर्मित जिला पंजीयक/उप पंजीयक कार्यालय से लगकर शासकीय नजूल भूमि ब्लाक नं0 58 प्लॉट नं0 9/1 में से 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफुट) भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/पूर्त संस्था/राज्य शासन के कार्यालयों में से किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 03/02/2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी ।

पृ0क0/ 452 /रीडर-नजूल/2021
प्रतिलिपि:-

- 1- इशतहार की एक प्रति आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
- 2- इशतहार की एक प्रति कलेक्टर महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
- 3- इशतहार की एक प्रति नगर पालिक निगम सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
- 4- इशतहार की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर, उक्तानुसार उद्घोषणा जिले के कलेक्टर की अधिकृत बेबसाईटों पर प्रकाशन हेतु ।
- 5- इशतहार की एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
- 6- इशतहार की एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
- 7- इशतहार की एक प्रति राजस्व निरीक्षक सागर को भेजकर लेख है कि आवेदित स्थल जहां पर संदर्भित भूमि है या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित/चस्पा कर पंचनामा सहित एक प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की जावे ।
- 8- कि आवेदक आवेदक वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर की ओर दो स्थानीय पेपर में इशतहार का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित ।

नजूल अधिकारी
सागर

सागर, दिनांक 16/02/2021

नजूल अधिकारी
सागर

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला सागर (म0प्र0)

(इशतहार)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 33अ/20(1) वर्ष 20-21

एदत द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आयुक्त नगर पालिक निगम सागर नजूल ब्लाक नं. 27 के प्लाट नं0 1/2 कुल रकवा 31940 वर्गफुट में से 16140 वर्गफुट भूमि भारत सरकार की 'अमृत योजना' अंतर्गत सीवर कार्य के पम्पिंग स्टेशन एवं पार्किंग के उपयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त भूमि सागर नजूल ब्लाक नं0 27 प्लाट नं0 1/2 रकवा 31940 वर्गफुट गोदाम हेतु खाद्य विभाग गल्ला गोदाम हेतु प्र0क0 147/2 वर्ष 55-56 आदेश दिनांक 22.03.1956 से आवंटित की गई थी।

अतः म0प्र0 शासन द्वारा राजपत्र दिनांक 24.09.20 में प्रकाशित दिशा निर्देशों अनुसार नजूल भूमि हस्तांतरण/आवंटन आयुक्त नगर पालिक निगम सागर नजूल ब्लाक नं. 27 के प्लाट नं0 1/2 कुल रकवा 31940 वर्गफुट में से 16140 वर्गफुट भूमि भारत सरकार की 'अमृत योजना' अंतर्गत सीवर कार्य के पम्पिंग स्टेशन एवं पार्किंग हेतु भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/पूर्त संस्था/राज्य शासन के कार्यालयों में से किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 22/02/2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 6/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी।

नजूल अधिकारी

सागर

सागर, दिनांक 06/02/2021

पृ0क0/ 447/रीडर-नजूल/2021

प्रतिलिपि:-

- 1- इशतहार की एक प्रति आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 2- इशतहार की एक प्रति कलेक्टर महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 3- इशतहार की एक प्रति नगर पालिक निगम सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 4- इशतहार की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर, उक्तानुसार उद्घोषणा जिले के कलेक्टर की अधिकृत बेबसाईटों पर प्रकाशन हेतु।
- 5- इशतहार की एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 6- इशतहार की एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 7- इशतहार की एक प्रति राजस्व निरीक्षक सागर को भेजकर लेख है कि आवेदित स्थल जहां पर संदर्भित भूमि है या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित/चस्पा कर पंचनामा सहित एक प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की जावे।
- 8- कि आयुक्त नगर पालिक निगम सागर की ओर दो स्थानीय पेपर में इशतहार का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।

नजूल अधिकारी

सागर

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला सागर (म0प्र0)

(इशतहार)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 32 अ/20(1) वर्ष 20-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक आलोक अग्रवाल अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा समिति सागर द्वारा इस न्यायालय में म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 जो म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित नवीन निर्देशों के अनुसार सरस्वती शिक्षा समिति सागर को शासकीय भूमि खसरा नं0 197 में कुल रकवा 1.643 हे0 में से लगभग 0.55 एकड एवं खसरा नं0 381/1 में कुल रकवा 136.839 हे0 में से 0.25 एकड कुल भूमि 0.80 एकड अर्थात् 35000 वर्गफुट भूमि को आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदित संस्था सरस्वती शिक्षा समिति सागर को शासकीय भूमि खसरा नं0 197 में कुल रकवा 1.643 हे0 में से लगभग 0.55 एकड एवं खसरा नं0 381/1 में कुल रकवा 136.839 हे0 में से 0.25 एकड कुल भूमि 0.80 एकड अर्थात् 35000 वर्गफुट भूमि विद्यालय को आवंटित किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/पूर्त संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 22/02/2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यदि कोई अन्य पूर्त संस्था आवेदित भूमि का आवंटन चाहती है तो वह उद्घोषणा में उल्लेखित अंतिम तिथि तक प्ररूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी।

आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी।



नजूल अधिकारी
सागर

सागर, दिनांक 05/02/2021

पृ0क0/ 433 /रीडर-नजूल/2021
प्रतिलिपि:-

- 1- इशतहार की एक प्रति आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 2- इशतहार की एक प्रति कलेक्टर महोदय, सागर संभाग सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 3- इशतहार की एक प्रति नगर पालिक निगम सागर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 4- इशतहार की एक प्रति जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर, उक्तानुसार उद्घोषणा जिले के कलेक्टर की अधिकृत बेबसाईटों पर प्रकाशन हेतु।
- 5- इशतहार की एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 6- इशतहार की एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- 7- इशतहार की एक प्रति हल्का पटवारी सागर खास को भेजकर लेख है कि आवेदित स्थल जहाँ पर सुंदर्भित भूमि है या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित/चस्पा कर पंचनामा सहित एक प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की जावे।
- 8- कि आवेदक आलोक अग्रवाल अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा समिति सागर की ओर दो स्थानीय पेपर में इशतहार का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।

ok

नजूल अधिकारी
सागर